एशियन थर्मल इंसुलेशन (1) पी. लिमिटेड

बनाम

ब्रिज एंड रूफ कं. (1) लिमिटेड

13 अगस्त, 2007

{डॉ. अरिजीत पासायत, सी.के. ठाकर और लोकेश्वर सिंह पाटा, जे.जे.}

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 11(6) - कंपनी और ठेकेदार के बीच विवाद - उनके बीच समझौते में एक मध्यस्थता खंड - मध्यस्थ की नियुक्ति का मुद्दा - कम्पनी के आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने मामलें को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ठेकेदार द्वारा अपील - ठेकेदार ने पहले ही अपने मध्यस्थ को नामित कर दिया था - पक्षकार एक सहमति पूर्ण व्यवस्था पर सहमत हुए - अपील का तदनुसार निपटारा किया गया। कम्पनी को 30 दिनों के भीतर अपना मध्यस्थ नामित करना होगा उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीठासीन मध्यस्थ को नामित करेंगें।

प्रत्यर्थी - कंपनी ने अपीलकर्ता ठेकेदार के साथ एक समझौता किया था। समझौते में एक मध्यस्थता खंड था। दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था। इस मामलें को मध्यस्थ नामित करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की याचिका पर आदेश को वापस लेने से इंकार कर दिया।

इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, पक्षकार एक सहमति पूर्ण व्यवस्था पर सहमत हुए।

अपील का निपटारा करते हुए न्यायालय ने अवधारित किया कि-

यद्यपि विवादित आदेश की वैधता के बारे में संबंधित रूख के समर्थन में तर्क दिए गये थे, लेकिन पक्षों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है - अपीलार्थी ने श्री जे. चावला को अपना मध्यस्थ नामित किया है। 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिवादी अपने मध्यस्थ को नामित करेगा। इसके बाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

पीठासीन मध्यस्थ को नामित करेगा जो किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश हो। {पैरा 6} {1008-बी-सी}

एस.बी.पी. एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और ए.एन.आर., {2005} 8 एस.सी.सी. 618, पर आधारित किया गया।

कोंकण रेल कॉर्प. लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रशन (पी) लिमिटेड, {2002} 2 एससीसी 388, संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील सं. 3696।

2005 के.ए.पी. संख्या 209 में कलकता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.09.2005 से।

अपीलार्थी के लिए कुमुद लता दास।

पुनीत जैन, सुशील कुमार जैन, एच.डी. थानवी, शरद सिंघानिया और क्रिस्टी जैन उतरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया थाः-

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.1. अनुमति दी गई।

2. विवाद एक बहुत ही संकीर्ण दिशा के भीतर निहित है।

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः

दिनांक 22.12.2003 को प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को कार्य आदेश जारी किया गया था। समझौते में मध्यस्थता के लिए एक खंड था। जिसका प्रभाव निम्न लिखित थाः

“41. मध्यस्थता बी एंड आर को विश्वास है कि ठेकेदार द्वारा इस आदेश के निष्पादन और पूरा होने के दौरान कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न नहीं होंगे।

हालांकि, कंपनी (बी एंड आर) और ठेकेदार (इसके बाद उन्हें उक्त पक्ष कहा गया है) के बीच आदेश के निष्पादन के रूप में नियमों और शर्तों की व्याख्या या उसके संबंध में या उक्त दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकारों और उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में उक्त पक्ष अपने बीच आपसी समझौते के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेगा, लेकिन यदि कंपनी और ठेकेदार के बीच आपसी समझौता संभव नहीं है, तो भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और सभी वैधानिक पुनर्गठन और

उसके संशोधन और उसके तहत बनाए गए नियम ऐसी मध्यस्थता पर लागू होंगें।"

4. दिनांक 27.11.2004 को प्रतिवादी की साइट पर मांग का एक नोटिस भेजा गया था और इसे डाक पृष्ठाकन "अस्वीकार" के साथ वापस कर दिया गया था। दिनांक 30.06.2005 को अनुरोध दोहराया गया। दिनांक 09.08.2005 को प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। मध्यस्थ को नामित करने के लिए मामलें को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 19.09.2005 को उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की याचिका पर अपने दिनांक 09.08.2005 के आदेश को वापस लेने से इंकार कर दिया। 26.10.2005 को इस न्यायालय ने एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य {2005} (8 एससीसी 618) में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में मध्यस्थता अधिनियम) के तहत् जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि यह एक न्यायिक शक्ति है न कि प्रशासनिक शक्ति। कोंकण रेलवे निगम

लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड। (2002) 2 एससीसी 388 को एसबीपी एंड कंपनी (सुप्रा) में खारिज कर दिया गया था। बहुमत के निष्कर्ष इस प्रकार थेः

"47. इसलिए हम अपने निष्कर्षों को इस प्रकार सारांशित करते हैः

(I) अधिनियम की धारा 11(6) के तहत् उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की गई शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति नहीं है। यह एक न्यायिक शक्ति है।

(ii) अधिनियम की धारा 11(6) के तहत् शक्ति, पूरी तरह से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा केवल उस न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपी जा सकती है।

(iii) उच्च न्यायायल या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, नामित न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति वहीं होगी जो कानुन द्वारा मुख्य न्यायाधीश को प्रदत्त होगी।

(iv) मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश को प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में दर्शाया गया है। अनुरोध पर विचार करना, वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व, जीवित दावे का अस्तित्व या अन्यथा, उसकी शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तों का अस्तित्व और मध्यस्थ या मध्यस्थों की योग्यता पर विचार करना उसका अपना अधिकार क्षेत्र होगा। आवश्यकता पडने पर मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश अधिनियम की धारा 11(8) के अनुसार योग्य मध्यस्थ को नामित करने के मामले में किसी संस्था की राय लेने के हकदार होंगे, लेकिन मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश केवल मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश का ही हो सकता है।

(v) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 11(6) के तहत् प्राधिकारी के रूप में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अधिनियम की योजना पर आधारित नहीं है।

(vi) एक बार जब मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण या एक मात्र मध्यस्थ तक पहुंच जाता है, तो उच्च न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मध्यस्थ या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और पार्टियां केवल

अधिनियम की धारा 37 या अधिनियम की धारा 34 की शर्तों के तहत् न्यायालय में जा सकती है।

(vii) चूंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उस न्यायालय के नामित न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश एक न्यायिक आदेश है, इसलिए उस आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत् उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(viii) अधिनियम की धारा 11(6) के तहत् किसी आवेदन पर विचार करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है।

(ix) ऐसे मामलें में जहां पार्टियों द्वारा अधिनियम की धारा 11(6) का सहारा लिए बिना एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिनियम की धारा 16 के अनुसार सभी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(x) चूंकि सभी कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड इस न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्देशित थे और अधिनियम की धारा 11(6) के तहत् आदेश उस निर्णय में

अपनाई गई स्थिति के आधार पर किये गये है, हम स्पष्ट करते हैं कि अब तक की गई मध्यस्थों या मध्यस्थ न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों को वैध माना जाएगा, सभी आपत्तियों पर अधिनियम की धारा 16 के तहत निर्णय लिया जाना बाकी है । इस तिथि से इस निर्णय में अपनाई गई स्थिति अधिनियम की धारा 11(6) के तहत लंबित आवेदनों को भी नियंत्रित करेगी।

(xi) जहां जिला न्यायाधीशों को अधिनियम की धारा 11(6) के तहत् उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया गया था, उनके द्वारा अब तक किये गये नियुक्ति आदेश वैध माने जाएंगे, लेकिन यदि इस तिथि तक उनके समक्ष कोई आवेदन लंबित है, तो वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उस न्यायालय के न्यायाधीश को निपटाने के लिए हस्तांतरित होगा।

(xii) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड में लिए गये निर्णय को खारिज कर दिया गया है।"

5. हालांकि विवादित आदेश की वैधता के बारे में संबंधित रूख के समर्थन में तर्क दिये गये थे, लेकिन पक्षों के विद्वान

वकील इस बात पर सहमत थे कि निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है।

"अपीलकर्ता ने श्री जे.चावला को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिवादी अपने मध्यस्थ को नामित करेगा। इसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीठासीन मध्यस्थ को नामित करेंगे जो किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होगा।"

7. तद्नुसार, खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील का निपटारा किया गया।

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी इन्दु उज्ज्वल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।